

भारत सरकार
दिल्ली मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्षा कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 2010

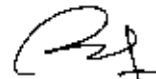
अधिसूचना

क.आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 से इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, हैदराबाद, कानूनी, आन्ध्र प्रदेश के निम्नलिखित शर्तों के अधीन: आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में लगे 'अन्य संस्था' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है. अर्थात्:-

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता बही रखेगा जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से ऐसी खाता-बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप धारा (1) के अंतर्गत आय विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत स्थापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में होवाधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत स्थापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा
- (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (i) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।



(अनील कुमार)

निदेशक (आ.क.नि.-II)

(फा.सं.203/18/2010-आ.क.नि.-II)

अधिसूचना सं. 2010

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

सायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: असेजी पाठानुसार प्रेषित।